न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2254–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–7–2014 पारित द्वारा तहसीलदार, वृत छीमक तहसील डबरा जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 5/अ–68/2013–14.

विन्द्रावनलाल पाठक पुत्र खच्चूराम पाठक
निवासी ग्राम खडवई
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन .....अनावेदक

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री एच.के. अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/9/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, वृत छीमक तहसील डबरा जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 21–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राजस्व निरीक्षक वृत छीमक द्वारा तहसीलदार को ग्राम खडवई की वादग्रस्त शासकीय भूमि पर आवेदक एवं एक अन्य व्यक्ति

द्वारा अतिक्रमण किए जाने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाकर उचित कार्यवाही किए जाने का निवेदन किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/अ–68/2013–14 पंजीबद्ध किया गया एवं अतिक्रामकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कारण बताओ सूचना पत्र का समग्र जवाब प्रस्तुत करने के लिए राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज व शासन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 21–7–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त किया गया कि आवेदक द्वारा पूर्व में स्वतः जवाब प्रस्तुत किया चुका है । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कारण बताओ सूचना पत्र त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि तहसील न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11–7–2014 से स्पष्ट है कि उक्त सर्वे क्रमांक 487 पर आवेदक के अलावा अन्य व्यक्तियों के नाम का भी उल्लेख है, इसके अतिरिक्त कारण बताओ सूचना पत्र में 10×15 फीट पर कमरा व आगे छपरा डालकर अतिक्रमण करना बताया है, जबकि आवेदक का कमरा व छप्पर विवादित भूमि पर न होकर आबादी भूमि है। यह भी कहा गया कि जो कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, उसमें न तो प्रकरण क्रमांक का उल्लेख है और न ही जवाब हेतु कोई दिनांक अंकित है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय को यह जानकारी है कि आवेदक भूमिहीन है और उसके पास कमरा व छप्पर के अलावा ग्राम में कोई मकान नहीं है । पटवारी द्वारा आवेदक से धोखे से जवाब टाईप कराकर प्रस्तुत करा दिया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि कारण बताओ सूचना पत्र के साथ दस्तावेजों की प्रतियां न दिये जाने के कारण आवेदक प्रज्युडिस हुआ है, अतः समग्र जवाब प्रस्तुत करने हेतु उक्त दस्तावेजों की प्रतियां प्रदाय की जायें । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया था, इसलिए तहसील न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में उचित कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा जबाव प्रस्तुत करने के बाद इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन व उसके साथ संलग्न दस्तावेज एवं शासन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराई जाये । इस सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है कि आवेदक द्वारा पूर्व में ही जबाव प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः आवेदन पत्र में उल्लिखित तथ्यों को स्वीकार करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । आवेदक को चाहिए कि वह तहसील न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर अपना पक्ष समर्थन करे, और इस न्यायालय में प्रस्तुत आधारों को उनके समक्ष उठाये । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार वुत छीमक, तहसील डबरा जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–7–2014 स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर